विचार बिन्दु

जनता की आवाज़ ईश्वर की आवाज़ है। -कहावत

मिनिमम गवर्नेंस, नो गवर्नमेंट

प्रधानमंत्री मोदी ने जब 2014 में प्रधानमंत्री का पद संभाला था तो यह घोषणा की थी कि वे ''मैक्सिमम गवर्नेंस, मिनिमम गवर्नमेंट'' का सिद्धांत लागू करेंगे और इस दिशा में कार्य करेंगे। प्रारंभ के कुछ निर्णयों से ऐसा लगा कि सरकार उसी ओर चल रही है, किंतु जैसे-जैसे समय निकलता गया, यह नारा केवल नारा ही बनकर रह गया। वास्तव में सरकार की कार्यप्रणाली किसी और ही दिशा में चलने लगी। निजीकरण को बहुत अधिक महत्व दिया जाने लगा, जिसमें कोई बुराई भी नहीं थी, किंतु इसके बेलगाम होने का क्या परिणाम हो सकता है, यह हाल ही के दिनों में कई स्थानों पर देखने में आया है।

गत सप्ताह में इंडिगो एयरलाइंस से यात्रा करने वाले यात्रियों की दुर्दशा एवं लाचारी के जो दृश्य, विभिन्न मीडिया माध्यमों पर दिखाए गए, चाहे वे टीवी चैनल हों, सोशल मीडिया हों अथवा प्रिंट मीडिया, बड़े हृदय विदारक थे। कई ऐसे बुजुर्ग थे जो घंटों, बिना दवा के एयरपोर्ट पर बैठे रहे, कई डॉक्टर सर्जरी करने नहीं पहुंच पाए, जिन मरीजों की किसी दूसरे शहर में सर्जरी होनी थी, वह नहीं हो पाई। कुछ मामलों में तो नव दंपत्ति अपने खुद के रिसेप्शन में भी सम्मिलित नहीं हो पाए और उन्हें केवल वीडियो के माध्यम से सम्मिलित होना पड़ा। बिलखते बच्चे और रोती हुई आक्रोशित महिलाओं के दृश्य प्रतिदिन आ रहे हैं। फ्लाइट 20 घंटों के विलंब से जा रही थीं। हजारों फ्लाइट्स कैंसिल हो गईं। हजारों लोग परीक्षा और इंटरव्यू देने से वंचित रह गए। बहुत से लोगों की विदेश की कनेक्टिंग फ्लाइट छूट गई। इंडिगो के कर्मचारियों के पास केवल एक ही रटा रटाया उत्तर था कि तकनीकी कारणों से विलंब हो रहा है, फ्लाइट रीशेड्यूल कर रहे हैं अथवा कैंसिल हो रही है। भारत में नागरिक की स्थिति कितनी दयनीय हो गई है, यह इसी से पता लगता है कि कोई स्पष्ट उत्तर देने वाला नहीं था कि उनकी फ्लाइट गंतव्य के लिए कब और कितने बजे रवाना होगी? जिन लोगों को अत्यावश्यक रूप से कहीं जाना था इसके लिए उन्हें वैकल्पिक फ्लाइट के टिकट, अन्य एयरलाइंस से मनमानी कीमत पर खरीदने पड़े। ऐसा देखा गया कि जिन दो शहरों के बीच में सामान्य टिकट की दर 7- 8000 रुपए थी, वहां के लिए 30000 से 100000 रुपए तक लोगों को मजबूरी में देने पड़े।

इंडिगो ने केवल यह कहकर अपने कर्तव्य की इतिश्री कर ली और यात्रियों पर 'उपकार' कर दिया कि वह यात्रियों को फ्लाइट रद्द होने पर पूरा किराया रिफंड करेगी। यह नहीं सोचा कि रिफंड तो 7000 रुपए का होगा लेकिन नया टिकट 70000 रुपए का होगा। यही स्थिति कुंभ मेले के समय भी हुई थी जब 5000 के स्थान पर लोगों को 50000 रुपए तक देने पड़े थे।

यह सब होते हुए भी सरकार आंखें मूंद कर बैठी रही। उसने न तो एयर लाइन पर कोई जुर्माना लगाया न यात्रियों को कोई मुआवजा देने के लिए इंडिगो को बाध्य किया। यह उल्लेखनीय है कि भारत के विमानन उद्योग में इंडिगो का हिस्सा लगभग 65 प्रतिशत है, अर्थात इसका एकाधिकार है। स्पष्ट है इंडिगो कंपनी निश्चिंत है कि डी जी सी ए या उड्डयन मंत्रालय उसके विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं करेगा। यह अति आत्मविश्वास शायद इसलिए कि सितंबर, 2025 से प्रधानमंत्री के अत्यन्त करीबी नीति आयोग के पूर्व सी ई ओ, इंडिगो के निदेशक बन गए हैं। कहा भी गया है, ''सैंया भए कोतवाल तो डर काहे का''? एयरलाइंस पर कोई कार्रवाई न करने को जनता के हितों की अनदेखी करना ही कहा जाएगा। इंडिगो ने न तो यात्रियों के लिए होटल की व्यवस्था की न खाने की। स्थिति तो यहां तक बिगड़ गई कि एक बुजुर्ग द्वारा जब अपनी बेटी के लिए एयरलाइंस स्टाफ से सैनिटरी नेपकिन की मांग की गई तो वह तक उपलब्ध नहीं कराया गया। लोग 5 घंटे से लेकर 20 घंटे तक अनिश्चितता की हालत में विभिन्न एयरपोर्ट पर बैठे रहे। एयरपोर्ट पर भीड़ की स्थिति किसी शहर के बस अड्डे से भी खराब हो गई थी।

आज प्रत्येक नागरिक यह प्रश्न पूछ रहा है कि क्या सरकार का 'मैक्सिमम गवर्नेंस' का यही तात्पर्य है कि यात्रियों को निजी कंपनियों की दया पर छोड़ दिया जाए? उल्लेखनीय है कि इंडिगो का मुनाफा केवल वित्तीय वर्ष 2024 में ही आठ हजार करोड़ रुपए से अधिक था। क्या सरकार इस कंपनी को आदेश नहीं दे सकती है कि वह पीड़ित यात्रियों को कम से कम एक लाख रुपए का मुआवजा दे? नागरिक उड्डयन मंत्रालय जिसके पास विभिन्न एयरलाइन एवं हवाई यात्राओं को नियमित करने की जिम्मेदारी है, उसने इस तरफ कोई भी ध्यान नहीं दिया। अब तक इस एयरलाइंस पर जुर्माना लगाने की भी कोई जानकारी नहीं है।

मीडिया में प्राप्त जानकारी से पता लग रहा है कि विभिन्न सुरक्षा संबंधी मानकों को ध्यान में रखते हुए और पायलटों के उड़ान के घंटे निर्धारित करने के कारण इंडिगो के लिए फ्लाइट संचालन करना असंभव था। फिर भी इंडिगो को अपनी फ्लाइट्स की संख्या 14000 से बढ़ाकर 15000 करने की अनुमति दे दी। इन सब का परिणाम यह हुआ कि इंडिगो के पास पायलटों की संख्या अत्यंत कम हो गई। बदली परिस्थितियों में, इंडिगो ने आवश्यकतानुसार अतिरिक्त पायलटों की समय पर भर्ती नहीं की। इसका असर फ्लाइट के संचालन पर पड़ना ही था। यह आश्चर्य की बात है कि अब सरकार ने पायलटों के उड़ान के घंटे नियमित करने वाला अपना आदेश इंडिगो कंपनी के लिए 10 फरवरी तक स्थगित कर दिया है। ऐसा करके क्या सरकार ने यात्रियों की सुरक्षा को ताक पर नहीं रख दिया है? प्रधानमंत्री जी ने नारा तो ''मैक्सिमम गवर्नेंस, मिनिमम गवर्नमेंट'' का दिया था लेकिन निजी कंपनियों को जिस प्रकार से मनमानी करने की खुली छूट दे दी गई है, उसे तो ''मैक्सिमम गवर्नेंस'' के स्थान पर 'नो गवर्नेंस' ही कह सकते हैं।

साधारण जनता मिलावटी दूध पीने, मिलावटी सब्जियां, फल एवं खाद्य पदार्थ खाने और जहरीली हवा में सांस लेने के लिए मजबूर है। वास्तव में सरकार होती तो मिलावट करने वालों को अब तक सजा मिल चुकी होती। न किसी को जेल हुई न किसी को गिरफ्तार किया गया। मेरे जैसे साधारण नागरिक की तो केवल एक ही अपेक्षा है कि सरकार प्रभावी रूप से नियंत्रण व्यवस्था स्थापित करे और नियंत्रण व्यवस्था में ऐसे लोगों को लगाए जो ईमानदारी से अपना काम करें, ताकि निजी संस्थाएं भी बनी रहें और किसी का शोषण भी व्यवस्था में ना हो।

सरकार की अनुपस्थिति लगभग हर उस क्षेत्र में अनुभव की जा रही है जिससे नागरिक का जीवन प्रभावित होता है। वाहनों की संख्या में अनाप-शनाप वृद्धि से शहरों में पार्किंग का कोई स्थान नहीं बचा है और इसलिए सड़कों पर वाहन बेतरतीब खड़े रहते हैं, जिसके कारण प्रतिदिन सड़क हादसों में लोग मर रहे हैं। अतिक्रमण और भवन निर्माण के नियमों की अवहेलना एक सामान्य बात हो गई है। जयपुर के मालवीय नगर में एक निर्माणाधीन चार मंजिला भवन झुकने लगा और जनजीवन के लिए खतरा बन गया तो पता चला कि यह बिना अनुमति के बन रहा था। कैसी सरकार और कैसा शासन?

चलती बसों में आग लगने के कारण यात्रियों की मृत्यु होना, अस्पताल में शॉर्ट सर्किट के कारण हुई आग से मरीजों की मौत होना, यही सिद्ध करते हैं कि सरकार के लिए आम नागरिक के जीवन का कोई महत्व नहीं रह गया है। जब मैं यह संपादकीय लिख ही रहा हूं तभी गोवा के नाइट क्लब में भयंकर आग लगने की खबर आई है। इसमें 25 लोग दम घुटने से मर गए क्योंकि आने और जाने का एक ही दरवाजा था। स्पष्ट है, न सरकार है न शासन।

जहां तक गवर्नमेंट का सवाल है उसके अधिकारियों का काम केवल व्यापारियों और आम जनता से अनधिकृत रूप से वसूली करना रह गया है। जनता का हित सरकार के लिए सबसे अंतिम प्राथमिकता बनकर रह गया है।

जिस प्रकार से अस्पतालों में मुख्यमंत्री आयुष्मान योजना लागू होने के बाद भी गरीब लोग अस्पताल में धक्के खा रहे हैं, उससे तो यही लगता है कि गवर्नमेंट नाम की कोई चीज नहीं है। लोकतांत्रिक कल्याणकारी सरकार का पहला दायित्व यही होता है कि वह जनता के हित को सर्वोपरि रखे, लेकिन जिस प्रकार के घटनाक्रम हम आजकल देख रहे हैं, उसको देखते हुए तो यही कहा जा सकता है कि सरकार के लिए बड़े उद्योगपतियों और पूंजीपतियों का हित संरक्षण ही एकमात्र काम रह गया है। साधारण जनता को निजी कंपनियों के हवाले छोड़ दिया गया है। मेडिकल की पढ़ाई करने वाले एक-एक छात्र से साल का एक करोड़ रूपया लिया जा रहा है। ऐसा करके क्या कभी कोई साधारण परिवार का व्यक्ति वर्तमान शासन व्यवस्था में एमबीबीएस या एम डी करने की सोच भी सकता है?

विभिन्न प्रशिक्षण संस्थानों में भारतीय प्रशासनिक सेवा एवं अखिल भारतीय सेवाओं के अधिकारियों अथवा अन्य सेवाओं के कर्मचारियों/ अधिकारियों को सुशासन पर प्रशिक्षण दिए जाने के बावजूद यदि हम गुड गवर्नेंस के बजाय 'नो गवर्नेंस' की दिशा में बढ़ रहे हैं, तो यह चिंता की बात है। इस प्रकार की स्थिति में, जिनके पास अकूत धनराशि है या जो प्रभावशाली हैं, वे तो किसी भी प्रकार से अपना काम निकाल लेंगे लेकिन साधारण नागरिक के पास तो प्रताड़ित होने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचेगा। उदाहरण के लिए, हाल ही में किए जा रहे एस आई आर में लगभग सभी सरकारी शिक्षकों की ड्यूटी लगा दी गई है और सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों की पढ़ाई, जो वैसे ही खस्ता हाल है, अब बिल्कुल ही समाप्त हो गई है। सरकार के संरक्षण की आवश्यकता ही साधारण परिवार को सर्वाधिक होती है और दुर्भाग्य से वही शोषण का शिकार हो रहा है। सरकार अपने मूल दायित्व को तिलांजलि देकर केवल पूंजीपतियों के हित संरक्षण में जुटी रहेगी तो वही स्थिति होगी जो अभी इंडिगो के प्रकरण में हुई है।

आम नागरिक प्रश्न पूछ रहा है कि सरकार जो उससे विभिन्न नामों से टैक्स वसूल करती है उससे उसे लाभ क्या हो रहा है? सरकार न तो उसे मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध करा रही है न ही उसे निजी क्षेत्र के हाथों शोषित होने से बचा पा रही है। उसके बच्चे यदि पढ़ाई नहीं कर सकें, रहने के लिए अपना छोटा सा घर नहीं बना सके, अपने लिए कोई रोजगार नहीं ढूंढ सके, प्रतियोगी परीक्षाओं के पेपर लीक होते चले जाएं तो उसे हम लोक कल्याणकारी राज्य का नागरिक कह पाएंगे? सरकार को चाहिए था कि तेजी से निजीकरण करते समय एक प्रभावी नियामक व्यवस्था स्थापित करती। पैसे की ताकत के आगे सरकार के मंत्री और अधिकारी या तो लाचार हैं या अपने स्वार्थ के कारण उनके समक्ष नतमस्तक हो गए हैं। यह भी पता चला है कि इंडिगो कंपनी के मालिक राहुल भाटिया ने सत्ताधारी दल को इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से 20 करोड़ रुपए दिए थे। यदि ऐसा नहीं है तो फिर अब तक नागरिक उड्डयन मंत्री और महानिदेशक डी जी सी ए को क्यों नहीं हटाया गया है?

साधारण जनता मिलावटी दूध पीने, मिलावटी सब्जियां, फल एवं खाद्य पदार्थ खाने और जहरीली हवा में सांस लेने के लिए मजबूर है। वास्तव में सरकार होती तो मिलावट करने वालों को अब तक सजा मिल चुकी होती। न किसी को जेल हुई न किसी को गिरफ्तार किया गया।

मेरे जैसे साधारण नागरिक की तो केवल एक ही अपेक्षा है कि सरकार प्रभावी रूप से नियंत्रण व्यवस्था स्थापित करे और नियंत्रण व्यवस्था में ऐसे लोगों को लगाए जो ईमानदारी से अपना काम करें, ताकि निजी संस्थाएं भी बनी रहें और किसी का शोषण भी व्यवस्था में ना हो।

इंडिगो की हाल की घटनाक्रम से तो यह लगता है कि सरकार पूरे प्रकरण में अनुपस्थित ही रही है। अनुपस्थित सरकार जनता का भला नहीं कर सकती। जनता चाहती है कि सरकार उसके हित में काम करे। हम तो केवल आशा ही रख सकते हैं कि सरकार अब भी जागे और सुशासन नहीं तो कम से कम शासन तो उपलब्ध कराए। दुर्भाग्य से न्यायपालिका भी सरकार की निष्क्रियता का संज्ञान नहीं ले रही है और न सरकार को बाध्य कर रही है कि वह एक प्रभावी कार्यपालिका की भूमिका संविधान के अंतर्गत निभाए।

फिलहाल तो ऐसा लगता कि प्रधानमंत्री का ''मैक्सिमम गवर्नेंस'' का दावा 'नो गवर्नेंस' में परिवर्तित हो गया है।

-अतिथि सम्पादक,
राजेन्द्र भाणावत
(पूर्व आई.ए.एस. अधिकारी)

लोकतंत्र से संवाद: वंदे मातरम् दीर्घा

डॉ. लोकेश चंद्र शर्मा

राजस्थान विधानसभा में राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम् को समर्पित विशिष्ट, शोधपरक और आधुनिक स्वरूप वाली दीर्घा में भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन, स्वाधीनता के सांस्कृतिक प्रतीकों और राष्ट्रभक्ति की सामूहिक चैतना के एतिहासिक तथ्यों को नए स्वरूप में प्रस्तुत किया है। भारतीय लोकतंत्र की आत्मा से संवाद करती इस पहल से देश की विधान सभाओं में राजस्थान विधान सभा इस ऐतिहासिक उपलब्धि से विशिष्ट बन गई है। राजस्थान विधान सभा अध्यक्ष श्री वासुदेव देवनानी की इस गौरवमयी सोच के साकार होने से विधान सभा का पवित्र परिसर शौर्य के भाव से आलोकित हो गया है। श्री देवनानी ने विधान सभा में भारतीय संविधान के 22 भागों के प्रारम्भ में प्रकाशित चित्रों की पृष्ठभूमि को समझाने के लिए संविधान दीर्घा और कारगिल वीरांगनाओं को समर्पित शौर्य वाटिका का भी निर्माण कराया है।

राजस्थान विधान सभा देश की पहली विधान सभा जहां वंदे मातरम् दीर्घा- देश की विधानसभाओं में राजस्थान विधानसभा अब उन विरल संस्थानों में शामिल हो गई है जहाँ वंदे मातरम् पर आधारित एक पूर्ण शोधपरक गैलरी का निर्माण हुआ है। राष्ट्र गीत के एक सौ पचास वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में तैयार इस दीर्घा में 37 पैनलों के माध्यम से वंदे मातरम् की रचना, इतिहास, संदर्भ और स्वतंत्रता संग्राम में उसकी भूमिका को क्रमबद्ध रूप से सजाया गया है। वंदे मातरम्, मातृभूमि के प्रति समर्पण, औपनिवेशिक दमन के विरुद्ध प्रतिरोध और स्वाधीनता की सामूहिक चेतना का स्वरूप है। स्वदेशी आंदोलन के दौर में यह गीत जनसभाओं और आंदोलनों का प्रेरक केंद्र बनकर राष्ट्रीय भावना को संगठित करता रहा और उसी चिरंतन स्वरूप को यह दीर्घा आधुनिक माध्यमों में पुनर्जीवित कर रही है।

नए विमर्श और आधुनिकता के साथ आमजन को समर्पित- राजस्थान विधानसभा परिसर स्थित राजनैतिक आख्यान संठाहालय में यह नई दीर्घा स्वतंत्रता आंदोलन के इतिहास को नए विमर्श और आधुनिक प्रस्तुति के साथ आमजन तक पहुँचाती है। वंदे मातरम् के भावपूर्ण संगीत, दुर्लभ दस्तावेजों, वीडियो सामग्री और उस युग के सांस्कृतिक-राजनीतिक परिवेश का सजीव प्रदर्शन आगंतुकों को उस समय की अनुभूति से जोड़ता है। मातृभूमि के प्रति प्रेम, कर्तव्य और संविधान के प्रति निष्ठा को इस दीर्घा का मूल केंद्र माना गया है, जो इसे मात्र प्रदर्शनी नहीं बल्कि प्रेरणा का स्थायी स्त्रोत बनाता है।

जीवंत ज्ञान केन्द्र- 1875 में अक्षय नवमी के दिन बंकिमचंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा मुर्शिदाबाद के लालगोला में रचे गए मूल गीत की पांडुलिपि, संस्कृतनिष्ठ बंगाली पाठ, स्वदेशी आंदोलन से जुड़े दुर्लभ फोटोग्राफ, क्रांतिकारियों के संस्मरण, पत्र, भाषण और तत्कालीन सांस्कृतिक वातावरण की झलक इस दीर्घा को विशेष बनाती है। युवा वर्ग, शोधार्थियों और इतिहास में रुचि रखने वाले नागरिकों के लिए यह दीर्घा एक जीवत जान केन्द्र के रूप में उभर रही है। राष्ट्रीय चेतना को आलोकित करने वाली राजस्थान विधान सभा ने नई पीढ़ी के लिए कर्तव्यों और अधिकारों के संतुलन के साथ राष्ट्र-प्रथम की भावना को सर्वोपरि बनाये रखने का वातावरण निर्मित किया है।

स्पीकर श्री वासुदेव देवनानी की इस पूरी पहल का सबसे महत्वपूर्ण पक्ष यह है कि राजस्थान विधानसभा ने इतिहास को स्थिर रूप में नहीं, बल्कि जीवंत एवं संवादमय रूप में प्रस्तुत किया है। संग्रहालय का यह विस्तार ऐसी सोच को दर्शाता है जिसमें राजनीति केवल नीतियाँ और बहसों तक सीमित न रहकर संस्कृति, इतिहास और नागरिक चेतना को भी समान महत्व देता है।

इतिहास को महसूस कराने वाली दीर्घा वंदे मातरम् दीर्घा- वंदे मातरम इतिहास, संस्कृति और संवैधानिक आदर्शों का ऐसा विशिष्ट संगम बनकर उभर रही है, जो भारतीय लोकतंत्र की गहराई और राष्ट्रीय चेतना की व्यापकता को नई पीढ़ियाँ तक पहुँचाने का महत्वपूर्ण माध्यम सिद्ध होगी। राजस्थान विधानसभा में वंदे मातरम् दीर्घा केवल अतीत का अभिलेख नहीं, बल्कि भारत की राष्ट्रीय पहचान को जोड़ने वाला समकालीन सेतु है। डिजिटल इंटरैक्टिव पैनलों और ऐतिहासिक दस्तावेजों के संयोजन ने इसे पारंपरिक संग्रहालयों की सीमाओं से आगे पहुँचा दिया है। इसे देखने वाले स्वतंत्रता आंदोलन की भावनाओं संघर्षों और राष्ट्रभक्ति की ऊर्जा को अनुभव करते हैं। यह पहल आने वाले वर्षों में न केवल शोधार्थियों के लिए बल्कि उन युवाओं के लिए भी अत्यंत मूल्यवान साबित होगी जो इतिहास को केवल पढ़ना नहीं, बल्कि उसे महसूस करना चाहते हैं।

करोडों भारतीयों की सामूहिक स्मृति का प्रतिबिम्ब- वंदे मातरम् दीर्घा राष्ट्रगीत के इतिहास को समेटे हुए है। यह भारत की सांस्कृतिक चेतना को जन भाषा में प्रस्तुत करती है। दीर्घा के प्रत्येक पैनल में स्वतंत्रता संग्राम के दृश्य, आंदोलनकारी ऊर्जा के अंश और राष्ट्रिनर्माण में काला-साहित्य की भूमिका के अध्याय सजीव हो उठे हैं। यह दीर्घा उन करोड़ों भारतीयों की सामूहिक स्मृति का प्रतिबिंब है जिन्होंने अंग्रेजी शासन का प्रतिरोध करते हुए वंदे मातरम् को अपनी आवाज का आधार बनाया था। आधुनिक भारत की युवा पीढ़ी जब इस दीर्घा में प्रवेश करती है, तो वह केवल इतिहास नहीं देखती वह अपने भीतर राष्ट्रभावना की एक नई समझ का जन्म अनुभव करती है।

लोक संस्कृति पथ - राजस्थान विधान सभा के राजनैतिक आख्यान संग्रहालय के प्रवेश पथ को कला, संस्कृति, लोकनृत्य, पारंपरिक प्रतीक और ऐतिहासिक धरोहरों के भित्ति चित्रों से उकेरा गया है। यह लोकक संस्कृति से परिचय कराने वाला पथ बन गया है।

-डॉ. लोकेश चंद्र शर्मा,
उप निदेशक जनसंपर्क, राजस्थान विधानसभा, जयपुर

राज्य सरकार के विघटनकारी रवैये से कृषि विश्वविद्यालयों के एक्ट और स्टैचूट्स गैरजरुरी व अर्थहीन

प्रो. वीर बहादुर सिंह

राजस्थान सरकार ने प्रदेश में पांच कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना की, ये संसथान, बीकानेर, उदयपुर, जोधपुर, कोटा और जोबनेर स्थानों पर संचालित हैं। ये सभी विश्वविद्यालय विधान सभा में उपयुक्त विधान पेश कर और गजट में नोटिफिकेशन उपरांत स्थापित किये गए हैं। सभी के विधान भारतीय कृषि अनुसन्धान परिषद्, नई दिल्ली के मॉडल एक्ट अनुरूप बनाये गए हैं। एक प्रकार से ये एक्ट और स्टटूटेस सम्बंधित विश्वविद्यालय के लिए संविधान का उद्देश्य पूरा करते हैं जिनके प्रोविशंस के अनुसार विश्वविद्यालय अपने सभी क्रिया कलापों को अंजाम देते हैं।

इसके ही प्रावधानों के अंतर्गत कुछ बड़ी समितियाँ गठित होती हैं जिनमें प्रबंध मंडल सर्वोच्च औरअकादमिक कौंसिल प्रमुख हैं। फिर विधान के ही अंतर्गत बोर्ड ऑफ़ स्टडीज अथवा फैकल्टी होती है। एक फैकल्टी एक संकाय के सभी अकादमिक और नॉन अकादमिक कार्य देखती है। वर्तमान स्थिति में कृषि संकाय, कृषि अभियांत्रिकी संकाय, होम साइंस संकाय, डेरी व् फ़ूड टेक्नोलॉजी संकाय और फिशरीज लिम्नोलोजी संकाय और बागवानी व् फॉरेस्ट्री संकाय इन संस्थानों में गठित किये हुए हैं। प्रत्येक मुख्य संकाय का एक महाविद्यालय है जैसे कृषि महाविद्यालय, कृषि अभियांत्रिकी महाविद्यालय, होम साइंस महाविद्यालय, डेरी व् खाध प्रौद्योगिकी महाविद्यालय, मतस्य विज्ञान महाविद्यालय आदि जहाँ स्नातक और अधिस्नातक स्तरों की शिक्षा देने का प्रावधान है सभी महाविध्यालयों में अनेक विषय अनुसार विभाग होते हैं। जिनमें प्रत्येक का एक विभागाध्यक्ष होता है।

कुछ अपवादों को छोडकर इन सभी पाठ्यक्रमों के अलावा अनुसन्धान या पीएचडी पाठ्यक्रम भी कुछ विषयों में उपलब्ध हैं। ये सभी पाठ्यक्रम नॉलेज विस्तार के कारण विषय सामग्री से बहुत प्रचुर हैं, जिन्हें पढानें के लिए वांछित वैज्ञानिक या अध्यापकों की जरुरत होती है। ये वैज्ञानिक पीएचडी तो होते ही हैं अपने ही विषय के किसी एक या दो पक्षों में विशेषग्यता रखते हैं जिसे वे अधिस्नातक और पीएचडी छात्रों को पढ़ाते भी हैं और किसी एक समस्या पर शोध भी करवाते हैं। शोध भी अपने में एक जटिल प्रक्रिया है, जिसे आखिर तक अंजाम तक पहुंचाने में शोधार्थी व् वैज्ञानिक को सतत परिश्रम और समय लगाना होता है।

उपरोक्त वर्णित डिग्री प्रोग्राम और सम्बंधित महाविद्यालय जहाँ वो डिग्री प्रोग्राम संचालित होते हैं, को भारतीय कृषि अनुसन्धान परिषद् नई दिल्ली से अनुमोदित अथवा प्रत्यायित या प्रामाणिक होना आवश्यक होता है इसके लिए सम्बंधित संस्था से निवेदन मिलते ही परिषद् एक विशेषज्ञों की समिति गठित कर देती है जो विश्वविद्यालय और महाविद्यालय का निरीक्षण कर और सभी दृष्टिओं से संतुष्ट होकर शिक्षा या डिग्री प्रोग्राम अथवा महाविद्यालय को चाही गई अनुसंशा प्रदान कर देती है। इस अनुसंशा के बाद ही वह प्रोग्राम पूरे देश में मान्य हो जाता है और कौंसिल से विभिन्न कार्यों के लिए आर्थिक सहायता के लिए भी उपयुक्त हो जाता है।

बिना इस मान्यता के प्रदान की गई डिग्री देश के किसी भी संसथान में आगे प्रवेश और रोजगार के लिए मान्य नहीं होती है। अक्रेडिटेशन समिति उपस्थित फैकल्टी व् उनकी विशेषग्यता, प्रयोगशालाएँ और प्रायोगिक कक्षाओं के लिए समुचित उपकरण की मौजूदगी, वांछित प्रयोगशाला सहायक और समुचित बजट प्रावधानों के होते हुए अक्रेडिटेशन के लिए अनुशंसा कर देती है उपरोक्त सभी कारकों का समुचित स्तरों का होने पर ही समिति संतुष्ट होकर प्रमाणिकता प्रदान करने की अनुसंशा करती हैं।

स्नातक विषय तो एक अनुभवरहित फैकल्टी पढ़ा सकती है लेकिन अधिस्नातक और पीएचडी विषय पढानें के लिए अध्यापक अथवा फैकल्टी का पोस्टग्रेजुएट कौंसिल से अनुमोदन आवश्यक होता है बिना अनुमोदि प्राप्त व्यक्ति अधिस्नातक और पीएचडी के विषय पढानें के लिए अयोग्य माना जाता है। इस लेख को पढ़ने के बाद छात्र भी आंकलन कर सकते हैं कि वे कैसा विषय पढ़ रहे हैं और उसे पढ़ाने वाला किस स्तर का है? माँ बाप का पैसा उचित जगह ही खर्च हो तभी छात्र को उस शिक्षा का लाभ हो सकता है। पीएचडी पढानें और थीसिस (रिसर्च) गाइड के लिए सुपरवायजर अथवा अध्यापक को उच्च कोटि का विषय ज्ञान और रिसर्च का वांछित स्तर का अनुभव रखना जरुरी है। यदि गाइड में वांछित अनुभव की कमी है तो वह संतोष स्तर की थीसिस छात्र को नहीं करा सकता। ऐसे में चालाकी से कुछ छात्र लाइब्रेरी से मिलती जुलती पूर्व की किसी थीसिस से कुछ भागों की नक़ल कर लेते हैं जो एक प्रकार से नक़ल करने के समान है।

कृषि महा विद्यालओं और विश्व विद्यालओं में सतत अनुसन्धान स्वरुप द्रुत गति से बढ़ती विषय सामठी का पढ़ाई में निरंतर समावेश भी कृषि शिक्षा में जरुरी है अन्यथा हाल ही में उपजी जानकारी से छात्र वंचित रह जायेंगे। इसलिए यूनिवर्सिटी के एक्ट और स्टटूस में विषय वार समिति ऑफ़ कोर्सेस भी गठित होती हैं जिसमें विभाग के सभी सीनियर अध्यापक और विश्वविद्यालय से बाहर के एक या दो आमंत्रित विशेषज्ञ नामित किये जाते हैं। इनकी उपस्तिथि से किसी अन्य विशेषज्ञ के ज्ञान का लाभ तो मिलता ही है विषय अपडेट करने में, अन्य संस्थानों में स्तिथि और स्तरों की सूचना भी मिल जाती है।

उपरोक्त सभी समितिओं की निर्धारित अंतराल पर बैठक आहूत की जाती है। विश्व विद्यालय में यदि विषय के अंतर्गत वांछित फैकल्टी नहीं हो तो उपरोक्त समितिओं का गठन संभव नहीं। सरकार में बैठे प्रशासनिक अधिकारिओं ने अपनी सोची समझी रणनीति के अनुसार रिक्त पदों पर चयन करने की परमिशन को सदैव टाला है। फलस्वरूप विभाग तो खाली हैं ही, महाविद्यालयों के स्तर पर भी साठ प्रतिशत और कहीं उससे भी अधिक पद या तो समाप्त किये जा चुके हैं या लम्बे समय से रिक्त ही चल रहे हैं।

आश्चर्य होता है कि विषय की पढ़ाई पूरी करने हेतु बाजार से (अचयनित) अपात्र को आमंत्रित कर पढ़ाई का उददेश्य पूरा कर लिया जाता है। प्रवेश लेने वाले छात्रों को इन सब मदारीनुमा व्यवस्थाओं की पडताल और उनके भविष्य पर पड़ने वाले कुप्रभाव का आंकलन नहीं होपाता। ऐसे षणयंत्र धोखाधडी के कारण छात्रों के लिए विध्वंशकारी होते हैं। कृषि अनुसन्धान परिषद् नई दिल्ली ने समान स्टैण्डर्ड कायम रखने की दृष्टि से सभी विषयों के नोट्स नेट पर उपलब्ध करा दिए हैं ताकि शिक्षक उनसे मदद ले सकें और छात्र भी विस्तृत नोट्स लिखने से निजात पा सकें। कौंसिल की इस पहल से लाभ की जगह नुक्सान अधिक हुआ है।

शिक्षकों की घोर कमी के रहते छात्रों ने इन नोट्स पर पूरी निर्भरता बना ली है। इससे वे लाइब्रेरी में टेक्स्ट बुक पढ़ने से भी मुक्ति पा चुके हैं जिससे वर्तमान में लाइब्रेरी में पढ़ने शायद ही कोई छात्र जाता हो। क्लास रूम में वांछित पढ़ाई न मिलने से ये नोट्स ही उनके लिए वरदान बन गए हैं। सरकार को भी इससे बड़ी राहत मिली है क्योंकि नई नियुक्तिओं से निजात पाने से सरकारी धन की बचत हो रही है। इस प्रकार क्लास रूम टीचिंग नगण्यप्राय है और आगे शायद कॉलेजों की भी जरुरत नहीं रहे पढ़ने वालों के लिए भविष्य में केवल सरकार किसी रजिस्ट्रेशन व्यवस्था को कायम कर सकती है जहाँ रजिस्टर करा छात्र नेट से विषय पढ़कर सीधे ऑनलाइन परीक्षा दे सकेंगे। इस प्रकार कॉलेजों की स्थापना और उन पर अनापसनाप खर्च से राजकीय कोष पर भार समाप्त प्राय हो जायेगा। समय बीतनें पर स्तिथि स्पष्ट होगी कि ऊँट किस करवट बैठता है?

वर्तमान में विश्वविद्यालय में प्रबंध मंडल के बाद ऐकडेमिक कौंसिल, पोस्टग्रेजुएट कौंसिल, बोर्ड ऑफ़ स्टडीज और समिति ऑफ़ कोर्सेज शैक्षणिक पक्ष के लिए गठित होती हैं। अनुसन्धान और विस्तार शिक्षा व् किसानों के खेतों तक तकनिकी ट्रांसफर के लिए कृषि अनुसन्धान निदेशालय एवं उसके अंतर्गत बाहर के ज़िलों में अनुसन्धान केंद्र कार्यरत रहते हैं जिनका मुख्य काम नवीन तकनीकों का विकास और पुरानी में संसोधन उसी वातावरण में किया जाकर परिणाम विस्तार निदेशालय को प्रेषित करने होते हैं जो उसे खेतों तक पहुंचाने का कार्य करते हैं।

वैसे तो विश्वविद्यालय के प्रत्येक वैज्ञानिक या शोधार्थी को शिक्षा, शोध और विस्तार तीनों दायुत्व निभाने होते हैं परन्तु दूरी, ट्रांसपोर्ट और मूल कार्य की उपेक्षा के रहते यह संभव नहीं हो पाता और शोध या विस्तार में लगा वैज्ञानिक दूसरी विधा में कार्य करने नहीं जा पाता। कृषि अनुसन्धान परिषद् नई दिल्ली की कार्य शैली अपनाते हुए कृषि विश्व विद्यालय भी अनुकरण करते हैं। लेकिन समुचित वैज्ञानिक संख्या न मिलने से इन केंद्रों पर भी शोध और विस्तार प्रभावित होता है। ये दोनों ही कार्य शोध और विस्तार हेड क्वार्टर पर उपलब्ध निदेशकों के अंतर्गत कार्य करते हैं। एक समयावधि पर दोनों ही निदेशालय अपने प्रगति आंकलन के लिए अपनी सम्बंधित समितिओं में सम्बाद कर किये गए कार्य का अनुमोदन कर रिपोर्ट विश्वविद्यालय को भेज देते हैं।

उपरोक्त वर्णित सभी प्रावधानों का जब आंकलन उद्देश्यों के परिपेक्ष में किया जाता है तो अनेक खामिआं उजागर होती हैं, जिनका निराकरण कभी होता नहीं और सतही लीपापोती कर इति श्री कर ली जाती है। हम उस पध्यति की तरफ अग्रसर हो रहे हैं जहाँ संभवत: फिर किसी समिति की जरुरत ही नहीं होगी। ठीक भी है उच्च शिक्षा में सरकारी हस्तक्षेप नगण्य ही रहे, तो उचित होगा। लेखक का मानना है कि अभी सम्बंधित छात्र और उनके अविभावक देखें कि उनके द्वारा अपने बेटा बेटी की कृषि शिक्षा पर खर्च और कम से कम चार वर्ष का समय कही बर्बाद तो नहीं हो रहा है? छात्र हित के लिए यह आवश्यक है।

-प्रो. वीर बहादुर सिंह,
पूर्व कुलपति और डेरी एवं खाद्य विज्ञ, महाराणा प्रताप कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्व विद्यालय, उदयपुर

राशिफल मंगलवार 9 दिसम्बर, 2025

पंडित अनिल शर्मा

पौष मास, कृष्ण पक्ष, पंचमी तिथि, मंगलवार, विक्रम संवत 2082, आश्लेषा नक्षत्र रात्रि 2:23 तक, ऐन्द्रन योग दिन 2:23 तक, तैतिल करण दिन 2:29 तक, चन्द्रमा रात्रि 2:23 से सिंह राशि में संचार करेगा।

ग्रह स्थिति: सूर्य-वृश्चिक, चन्द्रमा-कर्क मंगल-धनु, बुध-वृश्चिक, गुरू-मिथुन, शुक्र-वृश्चिक, शनि-मीन, राहु-कुम्भ, केतु-सिंह राशि में।

आज सर्वार्थ सिद्धि योग सूर्योदय से रात्रि 2:23 तक है। रवियोग और कुमार योग रात्रि 2:23 से आरम्भ होगा।

श्रेष्ठ चौघड़िया: चर 9:44 से 11:01 तक, लाभ-अमृत 11:01 से 1:37 तक, शुभ 2:54 से 4:12 तक।

राहूकाल: 1:30 से 3:00 तक। सूर्योदय 7:08, सूर्यास्त 5:29 तक

मेष

घर-परिवार में सुख-शांति बनी रहेगी। परिवार में धार्मिक-सामाजिक समारोह सम्पन्न हो सकते हैं। परिवार में अतिथियों का आगमन बना रहेगा।

वृष

परिवार में शुभ-मांगलिक संदेश प्राप्त हो सकते हैं। परिवार में परिजनों के सहयोग से वर्तमान समस्या का समाधान हो सकता है। व्यावसायिक/आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी।

मिथुन

व्यावसायिक कार्यों में व्यस्तता बनी रहेगी। नौकरीपेशा व्यक्तियों का प्रभाव-प्रभुत्व बढ़ेगा। महत्वपूर्ण जिम्मेदारी मिल सकती है। विवादित मामलों का निपटारा हो सकता है।

कर्क

मानसिक तनाव से राहत मिलेगी। मन:स्थिति में सुधार होगा। मनोबल-आत्मविश्वास बढ़ेगा। आवश्यक और महत्वपूर्ण कार्य योजनानुसार बनने लगेंगे।

सिंह

घर-गृहस्थी के खर्चों में अनावश्यक वृद्धि हो सकती है। पारिवारिक कार्यों के कारण भागदौड़ रहेगी। अतिथियों का आगमन बना रहेगा। मन में असंतोष बना रहेगा।

कन्या

आर्थिक/वित्तीय मामलों के लिए दिन अच्छा रहेगा। आय में वृद्धि होगी। संभावित स्त्रोत से धन प्राप्त होगा। व्यावसायिक वार्ता के लिए दिन अच्छा रहेगा।

तुला

व्यावसायिक कार्यों में प्रगति होगी। व्यावसायिक कार्य शीघ्रता/सुगमता से बनने लगेंगे। महत्वपूर्ण कार्य योजना का क्रियान्वयन होगा। आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी।

वृश्चिक

नवीन कार्यों के संबंध में सकारात्मक आश्वासन प्राप्त होंगे। अटके हुए कार्य बनने लगेंगे। धार्मिक-मांगलिक कार्यों में भाग ले सकते हैं। व्यावसायिक/आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी।

धनु

चन्द्रमा अष्टम भाव में शुभ नहीं है। शुभ कार्यों में व्यवधान हो सकता है। आवश्यक कार्यों में विलम्ब हो सकता है। आज अनावश्यक धन खर्च होगा।

मकर

परिवार में आपसी सहयोग-समन्वय बना रहेगा। परिवार में उत्सव जैसा माहौल रहेगा। मनोरंजन के कार्यक्रम बन सकते हैं। व्यावसायिक/आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी।

कुंभ

व्यावसायिक कार्यों पर ध्यान देना ठीक रहेगा। व्यावसायिक कार्यों में उचित सफलता मिल सकती है। अटके हुए कार्य बनने लगेंगे। आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। आय में वृद्धि होगी।

मीन

व्यावसायिक स्थिति ठीक रहेगी। व्यावसायिक कार्य शीघ्रता/सुगमता से बनने लगेंगे। नवीन कार्यों में उचित सफलता मिलेगी। आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी। धार्मिक-मांगलिक कार्य सम्पन्न हो सकते हैं।